

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, भोपाल-462004
//आदेश//

भोपाल, दिनांक: 13-06-2026

क्रमांक: File No.:1/1/41/0008/2026-Sec-2-29(FCS), राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कॉलम क्र.04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ करता है:-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री राजू कातुलकर	रायसेन	सीहोर
2	श्री मनोज कुमार पुराविया	सिवनी	छिंदवाड़ा
3	श्रीमती गंगा भिंडे	छिंदवाड़ा	हरदा

2/ उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान पदस्थापना स्थल से अधिकतम दो सप्ताह समय-सीमा के भीतर कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3/ स्थानांतरित अधिकारियों को वर्तमान पदस्थापना स्थल पर किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। नवीन पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होने पर ही अवकाश का निराकरण किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(बी.के.चन्देल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पृ.क्रमांक: File No.:1/1/41/0008/2026-Sec-2-29(FCS) भोपाल, दिनांक:13-06-2026
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
4. आयुक्त, संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला:- रायसेन, सिवनी, छिंदवाड़ा, सीहोर, हरदा, मध्यप्रदेश।
6. जिला आपूर्ति अधिकारी, रायसेन, सिवनी, छिंदवाड़ा, सीहोर, हरदा, मध्यप्रदेश।
7. जिला कोषालय अधिकारी, रायसेन, सिवनी, छिंदवाड़ा, सीहोर, हरदा, मध्यप्रदेश।
8. संबंधित अधिकारी.....की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. गार्ड फाईल।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग